भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 116
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बांस की खेती

116. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से गंगा, बहगुल, खन्नौत, गर्रा, रामगंगा और देवहा नदियाँ गुजरती हैं, में बांस की खेती की काफी संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्र में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'बांस की खेती' के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 116 के भाग (क) एवं (ख) के संबंध में विवरण।

(क) एवं (ख): बांस पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल), वाणिज्यिक और सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसके वितरण, विविधता और असंख्य उपयोगों के कारण यह वनस्पति जगत में एक अद्वितीय स्थान रखता है। 1,500 से अधिक प्रमाणित अनुप्रयोगों के साथ, बांस का उपयोग कागज और रेयान-वस्त्र मैन्यूफैक्चरिंग, कॉंस्ट्रक्सन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प, भोजन और चिकित्सा में बड़े पैमाने पर किया जाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से, बांस वायु और जल प्रदूषण को कम करने, भूमि क्षरण को कम करने, कार्बन संचयन और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है।

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। एनबीएम, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को, गैर-वन भूमि और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के लाभार्थियों की पट्टा भूमि पर बांस की खेती, प्रसार, बांस उपचार, बाजारों की स्थापना, इन्क्यूबेशन केंद्रों, मूल्यवर्धित उत्पाद विकास और प्रसंस्करण तथा मशीनरी एवम उपकरणों के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्य सरकारो के बीच पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों मे 90:10 है जबकि अन्य सभी राज्यों के लिए यह 60:40 है तथा केन्द्र शासित प्रदेशों/बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूहों (बीटीएसजी) और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के मामले में यह 100% है।

इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य - गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना, बांस की खेती का क्षेत्र विस्तार, फसलोपरांत प्रबंधन में सुधार, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सीज़निंग, संरक्षण प्रौद्योगिकियां, बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पाद विकास, कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा बांस और बांस संबंधित उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास करना हैं।

पुनर्गठित एनबीएम को 2019-20 से उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनबीएम के अंतर्गत बरेली बांस क्लस्टर शाहजहाँपुर जिले में संचालित है। इसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्रों में नर्सरी स्थापना (03), बांस रोपण (104 हेक्टेयर), सामान्य सुविधा केंद्र (01), बांस बाजार (01), बांस उपचार प्लांट (01) और कार्बनीकरण प्लांट (01) जैसी गतिविधियाँ स्थापित की गई हैं। इन क्षेत्रों में की गई गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है।

शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र में और उसके आसपास एनबीएम की भौतिक प्रगति का विवरण			
जिले का नाम	**वृक्षारोपण क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**स्थापित नर्सरी (संख्या में)**	**बांस मूल्य श्रृंखला के विकास से संबंधित गतिविधियाँ**
शाहजहाँपुर	31.00	01	
बरेली	18.00	01	01 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), 01 बांस बाजार, 01 बांस उपचार प्लांट और 01 कार्बनीकरण प्लांट
सीतापुर	24.00	01	
पीलीभीत	17.00	00	
लखीमपुर खीरी	14.00	00	
कुल	**104**	**03**	04